

न्यायालय उप जिला कलेक्टर रोडाभीम

कर्म अफिस

दिनांक 06/17 तीसरा पत्र नं. 13217


दलबान बसु गोपाल बसु नं. 13217

न्यायालय रोडाभीम

आर्थिक पत्र प्रणाली निपटारा

आर्थिक पत्र नं. 13217 की प्रतिलिपि नं. 13217 के आधारे न्यायालय रोडाभीम में प्रेषित किया गया है। आर्थिक पत्र नं. 13217 का अर्थ निकाला गया है। आर्थिक पत्र नं. 13217 के अर्थ निकालने के लिए न्यायालय रोडाभीम में प्रेषित किया गया है। दिनांक 13-2-17 को पत्र है।

231-34
30-1-17


उप जिला कलेक्टर
रोडाभीम (उत्तर)

13217

आर्थिक पत्र नं. 13217 के अर्थ निकालने के लिए न्यायालय रोडाभीम में प्रेषित किया गया है। आर्थिक पत्र नं. 13217 का अर्थ निकालने के लिए न्यायालय रोडाभीम में प्रेषित किया गया है। दिनांक 13-2-17 को पत्र है।

13-2-17 - आर्थिक पत्र नं. 13217 के अर्थ निकालने के लिए न्यायालय रोडाभीम में प्रेषित किया गया है। आर्थिक पत्र नं. 13217 का अर्थ निकालने के लिए न्यायालय रोडाभीम में प्रेषित किया गया है। दिनांक 13-2-17 को पत्र है।



न्यायालय उप जिला कलेक्टर रोड

फर्म अहमम

दिनांक

15.3.17

बकुलनाथ उद्य. / वास्ति अखत दिनांक 3.4.17 कोषादेशी

3.4.17

बकुलनाथ उद्य. / इन्धुषी नं. / का. अखत प्रशासिका य
जमान दिनांक / वास्ति अहमम नं. 1.5.17 कोषादेशी

1.5.17

बकुलनाथ उद्य. / जालमुसा वास्ति अहमम न्याय शासिका य
कैस जमान इन्धुषी नं. 2.6.17 कोषादेशी

2.6.17

पजावली राजसू लोड इतमान न्याय शासिका य

राजोपालीना

का कैस जमान इन्धुषी नं. 1.5.17 कोषादेशी / साधन
उपस्थित / एषी नं. शार्फनाथ लीमिटेड वक्त

इन्धुषी नं. का इत्यादि निवेदाता से पाबंद
काने का निवेदन लिपि / पजावली का अहमम

कन-लिपि / एषी नं. निवेदन शाराजीमान नं. नं.

560 रकबा 0.12 हैंपट कलजे को इन्धुषी नं.

का दोषणा खानेदारी का दावा उस्तान लिपि ही

राजसू फिजि अमाबंदी संवत् 2071-2074 के

इन्धुषी नं. 560 रकबा 0.12 हैंपट जाम जमान

इन्धुषी नं. खानेदारी जेतसापल नं. 1 एवं और अहमम

नं. 2 के पति के नाम दर्ज फिजि ही सापलन के

जाम खानेदारी दर्ज नं. ही निवेदाते अहमम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

नांक

का मालिकाना हक साक्ष्य। सबूत के आधार पर दावा पत्रावली में ही निदर्शन हो सकता है इसलिए यह शर्तना पत्र इस्याई निवेदाना सायत कर स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझा है।

इस शर्तना पत्र इस्याई निवेदाना सायत खारिज किया जाता है। पत्रावली के कुल शुमार होकर जम्मा से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 2.6.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय के रूप में शेरपुर में सुनाया गया।


(जिगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)